निर्णय द इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 278/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामकुंवार पुत्र धीरया जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. डॉ. राकेश कुमार मीणा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम।
2. जगदीश पुत्र सुखाराम
3. भोलू पुत्र सुखाराम
4. श्रवण पुत्र सुखाराम
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कंवर का बास, तहसील व जिला जयपुर ।
5. भूरी देवी पुत्री श्री सुखाराम पत्नी रामू जाति जाट निवासी ग्राम हाथोज तहसील व जिला जयपुर ।
6. भूमि धारक जरिये तहसीलदार कालवाड, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2022 उनवानी जगदीश बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामकिशोर रोलानिया एवं श्री सुरेश चाहर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री गोपाल लाल बाना अधिवक्ता अप्रार्थी 2 लगाययत 4 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.07.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 30/2022 उनवानी जगदीश बनाम सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से श्री गोपाल लाल

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बाना अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3 बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4 प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.06.20222 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थी रामकुंवार पुत्र धीरया 1/2-1-2 हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र से कय की थी। हिस्सा 1/2-1/2 अनुसार ही विक्रेता को प्रतिफल अदा किया था तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया। हिस्सा 1/2-1-2 अनुसार ही मौके पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसे पक्षकार बनाये बिना गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी को सुने बिना ही साक्ष्य सबूत व सुनवाई जवाब आदि का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी के हिस्से की भूमि कम करवाना चाहते है इसलिए उक्त प्रकरण में प्रार्थी के हित व स्वहित निहित है। जिसका अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 1.11.2022 को जबाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा जवाब की कॉपी प्राप्त की गई तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 18.1122022 आगामी तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 18.11.2022 को प्रार्थी जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो प्रार्थी को बताया गया कि उक्त प्रकरण मे तारीख पेशी आज की नियत नहीं थी। जिस पर प्रार्थी ने कहा कि मेरे को तो तारीख पेशी दिनांक 18.11.20.22 दी गई थी। आपने 14.11.2022 कैसे नियत कर दी। इस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकरण मेरे मिलने वाले का है तथा मेरे उपर राजनैतिक दबाव है उक्त प्रकरण को मै उनके पक्ष मे निरतारित करूंगा। आपका प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी खारिज कर अन्तिम निरतारण करूंगा। प्रार्थी द्वारा काफी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा साफ इन्कार कर दिया कि यह प्रकरण मेरे को उनके पक्ष में निरतारण करना ही पडेगा मेरे ऊपर दबाव है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप दिनांक 22.11.2022 को बहस करो अन्यथा आपको बिना सुने ही निस्तारर कर दुंगा। इसके पश्चात भी दिनाक 22.11.2022 को काफी निवेदन के पश्चात दिनांक 30.11.2022 तारीख पेशी दी गई और कहा गया कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि उक्त प्रकरण में आप बहस कर लो मेरे को इस का अन्तिम निरतारण करना है। प्रार्थी द्वारा काफी निवेदन किया गया तकि साहब मुझे बिना पक्षकार बनाये मेरी खातेदारी भूमि का हिस्सा जबरन कम करवाना चाहते है। मुझे पक्षकारान को सुनवाई साक्ष्य सबूत जवाब का अवसर देवे । इस पर उनके द्वारा साफ इन्कार कर दिया गया कि मै तो आपका प्रार्थना पत्र खारिज कर उनके पक्ष में अन्तिम निरतारण करूंगा। जिससे प्रार्थी को यह अन्देशा हो गया कि अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से मिले हुये है तथा पहले से ही उक्त प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्व निरतारित करने का मानस बना रखा है जिससे प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है । अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 12 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने काल्पनिक एवं झूठे कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से बड़ी बड़ी तारीखे पेशी लेने की कोशिश में रहते है तथा मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित किया जा रहा है। अप्रार्थीगण अपने कानूनी हक व अधिकारों से महरूम हो रहे है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नही किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 मे भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण मे ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नही पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नही होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **20.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर